

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

वेबसाईट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 3561

दिनांक:- 10-5-19

-:: स्वीकृति आदेश ::-

विषय: शहरी निकायों को वर्ष 2019-20 में माह अप्रैल 2019 से जून 2019 (03 माह) के लिए चुंगी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

राज्य की शहरी निकायों को वर्ष 2019-20 में माह अप्रैल 2019 से जून 2019 (03 माह) तक के लिए स्वीकृत चुंगी पुनर्भरण अनुदान की प्रथम किस्त की राशि में से निम्नांकित स्वीकृति द्वारा पेंशन अंशदान की बकाया राशि के पेटे कुल राशि रूपये 230.33 लाख की कटौति विभागीय स्तर पर की गयी है :-

01. लेखा/ प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 3375-560
दिनांक 10-05-19 (स्वीकृति संलग्न)

राशि रूपये 230.33 लाख

उक्त राशि रूपये 230.33 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड़ तीस लाख तैतीस हजार मात्र) कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर (1110) के माध्यम से निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता

(45)-विशेष अनुदान

जमा मद

8011- बीमा तथा पेंशन निधि

106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधि

(02)-नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के

कर्मचारियों की पेंशन निधियां

[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध

राशि रूपये 230.33 लाख

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)

राशि रूपये 230.33 लाख

कुल राशि रूपये 230.33 लाख

कुल राशि रूपये 230.33 लाख

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 171900282 दिनांक 03.05.2019 के क्रम में जारी की गई है।


(पवन अरोड़ा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 3562-66

दिनांक 10-5-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि रूपये 230.33 लाख सम्बन्धित मद में समायोजन की स्वीकृति जारी करावें।
02. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
04. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति के तहत कटौतियों का लेखांकन निकाय के लेखों में सुनिश्चित किया जावें।
05. लेखाधिकारी (पेंशन), निदेशालय।
06. अंक मिलान शाखा/सुरक्षित पत्रावली।


(उम्मेद सिंह गोदारा)
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(77)वित्त-1(1)आय व्ययक/2018/

दिनांक 17.05.2019

कोषाधिकारी,
सचिवालय जयपुर।


(स्वीकृति संख्या 30 /2019-20)

विषय:- शहरी निकायों को वर्ष 2019-20 में माह अप्रैल, 2019 से जून 2019 (03 माह) के लिए चुंगी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु. अनु/2017-18/3561-66 दिनांक 10.05.2019 के क्रम में राशि रुपये 230.33 लाख (अक्षरे रुपये दो करोड़ तीस लाख तैतीस हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित कर दी जावे:-

विकलेय मद	जमा मद
मांग संख्या - 29	
2217 - शहरी विकास	8011- बीमा तथा पेंशन निधि
80 - सामान्य	106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधि
192 - नगर पालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता	(02)-नगरपरिषदों/ नगरपालिकाओं के
(45)-विशेष अनुदान	कर्मचारियों की पेंशन निधियां
[01]-स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध	राशि रुपये 230.33 लाख
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	
राशि रुपये 230.33 लाख	


भवदीय


(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-Iराजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
06. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
07. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
08. सुरक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)